



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12082024-256293
CG-DL-E-12082024-256293

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3099]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 12, 2024/श्रावण 21, 1946

No. 3099]

NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 12, 2024/SHRAVANA 21, 1946

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 अगस्त, 2024

का.आ. 3253(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, एतद्वारा उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए 'पश्चिम बंगाल परिवहन श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना' (पैन: AAALW0133G), पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा गठित एक निकाय को उद्भूत होने वाली निम्नलिखित विनिर्दिष्ट आय के संबंध में अधिसूचित करती है, अर्थात्:

- सरकारी अनुदानों के रूप में प्राप्त राशि
- पश्चिम बंगाल मोटर परिवहन श्रमिकों के कल्याण उपकर अधिनियम, 2010 (पश्चिम बंगाल अधिनियम 2010 का V) तथा इसके अन्तर्गत बनाई गई नियमावली के अंतर्गत उपकर के रूप में प्राप्त राशि
- पंजीकृत लाभार्थियों द्वारा अदा किए गए पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि; तथा
- बैंक जमाओं पर व्याज

2. यह अधिसूचना उन शर्तों के अधीन प्रभावी होगी कि 'पश्चिम बंगाल परिवहन श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना'—

- (क) किसी भी व्यावसायिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा;
- (ख) इसकी गतिविधियां और निर्दिष्ट आय की प्रकृति पूरे वित्तीय वर्षों में अपरिवर्तित रहेंगी; और
- (ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उप-धारा (4 ग) के खंड (छ) के उपबंध के अनुसार आय की विवरणी दाखिल करेगा।

3. यह अधिसूचना निर्धारण वर्षों 2021-2022, 2022-2023 तथा 2023-2024 के लिए लागू मानी जाएगी तथा क्रमशः वित्तीय वर्षों 2020-2021, 2021-2022 तथा 2022-2023 के लिए संगत होगी तथा निर्धारण वर्षों 2024-2025 तथा 2025-2026 के लिए लागू होगी तथा क्रमशः वित्तीय वर्षों 2023-2024 तथा 2024-2025 के लिए संगत होगी।

[अधिसूचना सं. 99/2024/फा. सं. 300196/19/2019-आईटीए-I(पार्ट I)]

विकास सिंह, निदेशक (आईटीए-I)

स्पष्टीकरण ज्ञापन

यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव देने से किसी भी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है।